6.7.17 पचान को कोर्ट कैम्प पालडी पर पेश। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट का सगा भाई हीरा पिता देवा भील नाऔलाद फौत हो गया। अपीलान्ट स्व. हीरा का सगा भाई है तथा मुख्य अपीलान्ट का सगा भाई कजोड पिता देवा का पूर्व मे स्वर्गवास हो चुका है स्व. देवा के पॉच लडके थे जिनमे से स्व. हीरा पिता देवा के कोई सन्तान नहीं थी न ही जाति रस्म-रिवाजानुसार किसी को गोद लिया था न ही किसी को पगडी बंधवाई, जिससे हिरा पिता देवा भील के बाद नामान्तकरण

संख्या 1009 दिनांक 22.10.1998 को ग्राम पंचायत पालडी द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से रेस्पोंडेन्ट सख्या 5 के नाम नामान्तकरण खोला गया, जब की मै स्व. हीरा का जीवित सगा भाई हु किन्तु अधिनस्थ अदालत ने मेरे जीवित होते हुए मुझे मृत बताकर केवल काजोड के उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तकरण खोला जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त्नीय है।

अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तथा हम भील-मीणा हिन्दु विधि से गवर्न नही होते है। हमारे समाज मे प्रचलित परिपाटी एंव नियमो के अनुसार अनुसुचित जनजाति के व्यक्तियो मे महिलाओ (पुत्रियो) को विरासत से जायदाद मे अधिकार नही मिलते अधिनस्थ अदालत मै काजोड की पुत्रियो व पत्नी के नाम पर नामान्तकरण खोलकर विधि विरुद्ध कार्य किया है

अतः मै अपीलान्ट अनुसूचित जाति के नियम व परिपाटी अनुसार प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी हुँ। मेरे बाद काजोड के पुत्र भाणा है जिससे विवादित नामा. सं 1009 जो माहहम अदालत मे गलत तरीके से खोला है. को निरस्त फरमाकर नामान्तकरण मुझ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट स 1 व 2 के नाम खोला जावे।

अपील पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

आदेश

वादी द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के स्थान पर अनुसूचित जनजाति अधिनियम रीति रिवाज से शासित होने के सम्बंध मे किसी प्रकार के कोई साक्ष्य/दस्तावेज/शपथ पत्र पेश नही किये गये। अतः वाद मे साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नही करने से खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 6.7.17 को कोर्ट कैम्प पालोडा मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से दाखिल हो

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदे. सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा